नए वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करने वाला पहला राज्य बना मध्य प्रदेश

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन का लिया महत्वपूर्ण निर्णय

▶ नवगठित वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू सदस्य भी हुए शामिल

नवभारत न्यूज

भोपाल 5 जुलाई. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय के तहत मध्यप्रदेश में नये वक्फ बोर्ड का गठन किया है.इस संबंध में मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है.

म.प्र. वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल होंगे. वक्फ बोर्ड में कुल 10 सदस्य बनाये गये है, जिनमें 2 हिंदू सदस्य मनोज मालपानी और अनिमेश भार्गव को भी शामिल किया गया है. नये अधिनियम के तहत वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है.

राज्य शासन ने वक्फ अधिनियम-1995 (संशोधित-2025) की धारा-13 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा-14 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार वक्फ बोर्ड का गठन किया है.

नये वक्फ बोर्ड में नजमा हेपतुल्ला नई दिल्ली, आतिफ अकील विधायक भोपाल (उत्तर), फैजान खान उज्जैन, फातेमा चौधरी इंदौर, शाइस्ता सुल्तान पार्षद बैरसिया, शबाना खान पार्षद रतलाम, मनोज मालपानी इंदौर,अनिमेश भार्गव राघौगढ़ गुना और आयुक्त पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण को सदस्य बनाया गया है. नजमा हेपतुल्ला, वक्फ अधिनियम, 1995 (यथा संशोधित, 2013) की धारा 14 के अंतर्गत 19.04.2023 की अधिसूचना द्वारा निर्वाचित श्रेणी से नियुक्त सदस्य हैं इनका कार्यकाल 18.04.2028 तक प्रभावी है अत: इनका नाम नवीन अधिसूचना में शेष कार्यकाल के लिये सम्मिलित किया गया है.

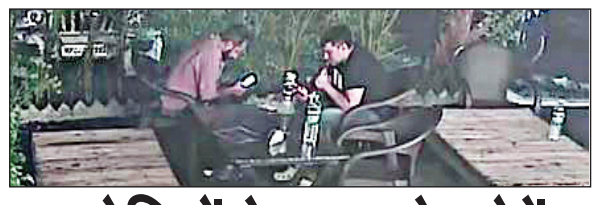

आरोपियों के साथ रेस्टोरेंट में खुद दिखा फरियादी

कार लूट के मामले में पुलिस की जांच जारी

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 5 जुलाई. कोहेफिजा इलाके में एक कार लूट के मामले में पुलिस की जांच में सामने आया है कि जिस युवक ने कार लूट का केस दर्ज कराया था. वह भी खुद कुछ घंटे बाद अपने आरोपी साथियों के साथ एक रेस्टोरेंट में देखा गया.

इसके साथ ही पुलिस को फरियादी सौरव और आरोपी आदित्य के बीच पैसों के लेन-देन की चैट मिली है. कोहेफिजा पुलिस चैट, सीसीटीवी और अन्य सबूतों के आधार पर जांच में जुटी है. कार लूट की पूरी घटना पर अब पुलिस हर एंगल से पड़ताल कर रही. 27 वर्षीय फरियादी सौरव सीतलानी ने अपनी कार की लूट के मामले में शुक्रवार को थाने में शिकायत दर्ज कराई. सौरव ने मामले में अपने चार साथियों आदित्य के साथ बाबर उर्फ मंडी, मोइन और बुशरान को आरोपी बताया. मनुआभान टेकरी के गेट के पास उसके साथ मारपीट कर कार लूटी गई.

टीईटी से राहत दिलाने सुको जा सकता है विभाग

70 हजार शिक्षकों को देना है पात्रता परीक्षा

नवभारत प्रतिनिधि

भोपाल,5 जुलाई. प्रदेश के करीब 70 हजार शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी से राहत दिलाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी कर रहा है.

विभाग का तर्क है कि साल 2005 से 2009 के बीच भर्ती हुए इन शिक्षकों ने पहले ही सरकारी चयन परीक्षा पास कर नौकरी हासिल की थी, इसलिए इन्हें दोबारा पात्रता परीक्षा देने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए. अगर सुप्रीम कोर्ट इस दलील को स्वीकार करता है तो प्रदेश के हजारों शिक्षकों को बड़ी राहत

मिल सकती है. बता दें सुप्रीम कोर्ट के सितंबर 2025 के आदेश के बाद लोक शिक्षण संचालनालय ने उन सभी शिक्षकों के लिए जुलाई-अगस्त में टीईटी आयोजित कराने के निर्देश दिए हैं. जिनकी नियुक्ति साल 1998 से 2009 के बीच यानी शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने से पहले हुई थी. इस आदेश से प्रदेश के करीब डेढ़ लाख शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। कोर्ट के मुताबिक जिन शिक्षकों की सेवा अवधि 5 साल से कम बची है, उन्हें परीक्षा से छूट मिलेगी. लेकिन 5 साल से अधिक सेवा वाले शिक्षकों के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य होगा. परीक्षा पास न करने पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति का सामना करना पड़ सकता है.

परीक्षा पास करने की समय सीमा 31 अगस्त, 2028 है

हालांकि कोर्ट ने परीक्षा पास करने की समयसीमा को बढ़ाकर 31 अगस्त 2028 कर दिया है. हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले ही राज्य सरकारों और शिक्षक संगठनों की 65 से अधिक पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर चुका है. कोर्ट का स्पष्ट मानना है कि बिना टीईटी योग्यता वाले शिक्षकों के सेवा में बने रहने से शिक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ेगा.

भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन की योजना दूरदर्शी हो : शर्मा

▶ बैठक में संभागायुक्त ने दिए अफसरों को निर्देश

भोपाल, 5 जुलाई. भोपाल विकास प्राधिकरण कार्यालय में शनिवार को संभागायुक्त ने भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन प्लान के कार्यों की समीक्षा की.

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना को दीर्घकालिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक और समन्वित दृष्टिकोण के साथ तैयार किया जाए. उन्होंने कहा कि भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन प्लान शहर के विकास का आधार बनेगा, इसलिए प्रत्येक चरण में गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए. भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन की समग्र विकास योजना बेहतर ढंग से तैयार की जाए. हर चरण में

गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए. भविष्य में बढ़ने वाली जनसंख्या व लोगों की जरूरतों के ध्यान में रखते हुए प्लान बनाया जाए. हर क्षेत्र में सीमा का निर्धारण किया जाए, जिससे चारों तरफ विकास हो सके. संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा ने कहा कि सभी संबंधित विभागों एवं संस्थाओं के साथ व्यापक स्टेकहोल्डर कंसल्टेशन आयोजित किए जाएं. जिससे विभिन्न विभागों के सुझावों और स्थानीय आवश्यकताओं को योजना में समाहित किया जा सके. बैठक में भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन के समग्र स्वरूप, परियोजना की प्रस्तावित समय-सीमा व विभिन्न कार्य चरणों की जानकारी प्रेजेंटेशन के जरिए बताई गई. साथ ही प्लान पर चर्चा की गई. बैठक में जनसांख्यिकी, मोबिलिटी एवं परिवहन, अर्थव्यवस्था, पारिस्थितिकी एवं प्राकृतिक संसाधन, भौतिक एवं सामाजिक अधोसंरचना सहित विभिन्न प्रमुख विषयों पर चर्चा हुई. जैसे कृषि, औद्योगिक विकास, लॉजिस्टिक्स, शिक्षा, पर्यटन जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए संभावित विकास क्षेत्रों की पहचान भी की गई. इस मौके पर अलग-अलग विभागों के अधिकारी शामिल हुए.

साइबर अपराधों को लेकर किया जागरूक

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 5 जुलाई. पुलिस कमिश्नरेट के 150 पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों ने 50 स्थानों पर साइबर संवाद आयोजित किया. रविवार को लगभग 7,500 नागरिकों एवं विद्यार्थियों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया गया. 'सेफ क्लिक 2.0' साइबर जागरुकता अभियान के अंतर्गत पुलिस कमिश्नरेट के सभी पुलिस थानों एवं साइबर क्राइम ब्रांच की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

अभियान के दौरान नागरिकों को डिजिटल अरेस्ट, फर्जी पुलिस,सीबीआई अधिकारी बनकर की जाने वाली ठगी, ओटीपी, बैंक खाता एवं एटीएम संबंधी धोखाधड़ी, निवेश एवं

ट्रेडिंग फ्रॉड, सोशल मीडिया हैकिंग, क्यूआर कोड स्कैम, फर्जी लिंक, केवाईसी अपडेट, पार्सल एवं कस्टमर केयर फ्रॉड सहित विभिन्न साइबर अपराधों के तरीकों तथा उनसे बचाव के उपायों की विस्तृत जानकारी दी गई. इस अवसर पर नागरिकों से अपील की गई कि वे किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अपना ओटीपी, बैंक खाते की जानकारी, एटीएम/डेबिट कार्ड का विवरण, सीवीवी या पासवर्ड साझा न करें. किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें तथा ऑनलाइन लेनदेन करते समय पूरी सतर्कता एवं सावधानी बरतें. यदि किसी व्यक्ति के साथ साइबर ठगी होती है, तो वह तत्काल राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930पर कॉल करें अथवा पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई कर पीड़ित की सहायता सुनिश्चित की जा सके.

मिस्त्री के ऊपर गिरा मकान का छज्जा, मौत

भोपाल. एक निर्माणधीन मकान का छज्जा मिस्त्री के ऊपर गिरने से उसकी मौत हो गई. मिसरोद थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है. 28 वर्षीय देवी प्रसाद अहिरवार मकान बनाने के मिस्त्री के तौर पर काम करता था. शनिवार को देर शाम वह रूचि लाइफ स्कैप कॉलोनी में एक निर्माणधीन मकान में काम कर रहा था. देवी प्रसाद नीचे खड़ा था. इस दौरान अचानक से मकान की छत का छज्जा उस पर गिर गया. चपेट में आने से देवी प्रसाद गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. अस्पताल की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. मर्ग कायम कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

दो करोड़ की अवैध शराब की पेटियां जब्त

मध्यप्रदेश पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई

विशेष संवाददाता

भोपाल, 5 जुलाई . मध्यप्रदेश पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आलीराजपुर जिले में करीब दो करोड़ रुपये मूल्य की 2,004 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की है.

इस दौरान करीब 40 लाख रुपये कीमत के दो कंटेनर ट्रक भी जब्त किए गए हैं, जबकि दोनों वाहनों के चालकों को गिरफ्तार कर लिया गया. यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक रघुवंश कुमार सिंह के निर्देशन में जोबट थाना पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों एवं शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई.

पुलिस को मिली गोपनीय सूचना के आधार पर गठित दो टीमों ने अलग-अलग आयशर कंटेनर वाहनों को रोककर तलाशी ली. एक वाहन से 930 पेटियां और दूसरे से 1,074 पेटियां अवैध निर्मित विदेशी शराब बरामद की शराब में कई प्रीमियम ब्रांड भी शामिल हैं. दोनों मामलों में मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत अलग-अलग प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

होटल में घुसकर चार युवकों पर हमला

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 5 जुलाई. मिसरोद इलाके में संचालित एक होटल में घुसकर करीब एक दर्जन बदमाशों ने चार युवकों पर हमला कर दिया. तलवार, चाकू, हॉकी और बेसबॉल बैट से लैस बदमाशों ने बीच बचाव करने आए होटल के कर्मचारियों के साथ भी मारपीट की. शिकायत पर मिसरोद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान कर रही है.

फरियादी लीलाधर अपने तीन दोस्तों के साथ शनिवार को देर रात ड्यूटी खत्म होने के बाद बंगरसिया-भोजपुर रोड स्थित एक होटल पर खाना खाने जा रहे थे. रास्ते में इसी दौरान एक तेज रफ्तार में आ रहे बाइक सवारों ने सभी को टक्कर मार दी. लीलाधर और उनके साथियों ने इसका विरोध किया तो बाइक सवार ने विवाद शुरू कर दिया. इस दौरान आरोपी बाइक सवार ने करीब एक दर्जन बदमाशों को बुला लिया और होटल के अंदर गए चारों युवकों पर हमला कर दिया. हथियारों से लैस बदमाशों ने होटल के अंदर तोड़फोड़ करते हुए कर्मचारियों के साथ भी मारपीट कर दी. हमले में लीलाधर गंभीररूप से घायल हो गए.

बाइक फिसली, सवार की मौत

भोपाल. निशातपुरा इलाके में सड़क पर चलती बाइक के फिसलने से युवक की मौत हो गई. साहिल मालवीय नवजीवन कॉलोनी में रहता था. साहिल एक डेयरी पर काम करता था. शनिवार को सुबह वह अपने घर से बाइक लेकर निकला था. स्थानीय मंडी में वह सब्जी लेने के लिए जा रहा था. इस दौरान उसकी बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई.

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

(CIN-L65110TN2014PLC097792)

रजिस्टर्ड ऑफिस : केआरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031

फोन : +91 44 4564 4000, फैक्स : +91 44 4564 4022

सार्वजनिक सूचना

स्वर्ण नीलामी सह आमंत्रण सूचना

इसके द्वारा नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त उधारकर्ताओं ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (बैंक) से सोने के आभूषण गिरवी रखकर ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया है और बार-बार अनुस्मारक और नोटिस के बावजूद, उधारकर्ता सुविधा के तहत निर्धारित समय के भीतर बकाया देय राशि चुकाने में विफल रहे हैं. तदनुसार, बैंक अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए, अपने देय की वसूली के लिए 11-अगस्त-2026 से 13-अगस्त-2026 तक गिरवी रखे गए सोने के आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी आयोजित करेगा. उधारकर्ताओं को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि लागू प्रासंगिक ब्याज, शुल्क और खर्चों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि चुकाने का यह अंतिम अवसर निरीक्षण/बोली तिथि से पहले है, ऐसा न करने पर गिरवी रखे गए सोने के आभूषणों को नियामकों द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार नीलामी के माध्यम से बेच दिया जाएगा.

ऋण खाता संख्या	उधारकर्ता का नाम	शाखा का नाम
169045239	इन्दर सिंह राजपूत	कुरावर रूरल
182842138	कल्लू अहिरवार	ब्यावरा रूरल
183134456	महेश कुमार वर्मा	ब्यावरा रूरल
172248422	पवन चावला	हमीदिया रोड शाखा

नीलामी की स्थिति में यदि इस नीलामी से कोई अधिशेष राशि प्राप्त होती है, तो उसे संबंधित उधारकर्ता को वापस कर दिया जाएगा और यदि नीलामी के बाद कोई कमी/कमी रहती है, तो शेष राशि उचित कानूनी कार्यवाही के माध्यम से उधारकर्ता से वसूली योग्य होगी. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पास बिना किसी पूर्व सूचना के नीलामी से किसी भी खाते को हटाने का अधिकार है. इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बिना कोई पूर्व सूचना दिए, अपने विवेक से नीलामी कार्यक्रम को बाद की तारीख में संशोधित करने या स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है. नीलामी भौतिक मोड में इसके सूचीबद्ध नीलामी सेवा प्रदाताओं मेसर्स श्रीराम ऑटो मॉल इंडिया लिमिटेड के माध्यम से सुबह 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक आयोजित की जाएगी. यदि ग्राहक मृत है, तो नीलामी से संबंधित सभी शर्तें उनके नामांकित व्यक्ति/कानूनी वारिस पर लागू होंगी.

नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्तें :-

1. संबंधित सोने के आभूषणों की बिक्री 'जहां है जैसा है', 'जिस स्थिति में है जैसा है' और 'जो कुछ भी वहां है' के आधार पर होगी.
2. इच्छुक बोलीदाताओं को बैंक के अधिकृत नीलामी सेवा प्रदाता के पास पंजीकरण कराना होगा और केवाईसी आवश्यकताओं का पालन करना होगा.
3. बोली लगाने से पहले आभूषणों और विशिष्टताओं के बारे में खुद को जांचना और संतुष्ट करना बोलीदाताओं की जिम्मेदारी होगी. बोलीदाता शाखा प्रबंधक के परामर्श से आभूषणों का निरीक्षण कर सकता है.
4. उच्चतम बोली बैंक के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा पुष्टि के अधीन होगी.
5. सफल बोलीदाता निर्धारित समय के भीतर पूरी बिक्री राशि जमा करेगा, ऐसा न करने पर पहले से जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी.
6. एक बार बेचे जाने के बाद गोल्ड पाउच किसी भी परिस्थिति में विक्रेता को वापस नहीं किए जा सकते हैं और विजेता बोलीदाता/खरीदार द्वारा इसका भौतिक कब्जा लेने के बाद विक्रेता की किसी भी प्रकृति की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी.
7. बैंक का अधिकृत प्रतिनिधि बिना किसी पूर्व सूचना के या कोई कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने या नीलामी को रद्द/स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है.
8. बिक्री बैंक द्वारा पुष्टि के अधीन है.

दिनांक : 06-07-2026
स्थान : मध्य प्रदेश

हस्ताक्षर/-
अधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के लिए

वीआईपी रोड पर चलती कार में शराब पीते युवकों का वीडियो हुआ वायरल

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 5 जुलाई. वीआईपी रोड पर एक चलती कार में शराब पीते युवकों का यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते वीडियो सामने आया है. चलती कार की सनरूफ से बाहर शराब पीते युवकों के मामले को पुलिस ने संज्ञान में लिया है, जिसकी जांच की जा रही है. शराब पीते युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. वीडियो शनिवार का बताया जा रहा है. वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि वीआईपी रोड पर चलती कार के बाहर आकर तीन युवक शराब पी रहे हैं. कार चालक तेज रफ्तार में कार चला रहा है. कार के पीछे आ रहे अन्य राहगीरों ने इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है.

बैरसिया-नरसिंहगढ़ के बीच पार्वती नदी का मार्ग बंद

बारिश से सड़क के ऊपर 4 फीट पानी का बहाव

नवभारत न्यूज

बैरसिया, 5 जुलाई. क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश से बैरसिया - नरसिंहगढ़ के बीच पार्वती नदी के वैकल्पिक मार्ग के ऊपर लगभग 4 फीट पानी बह रहा है. रविवार को एसडीएम आशुतोष शर्मा ने तहसीलदार राजेंद्र त्यागी को इस मार्ग की आवाजाही बंद करने निर्देश दिए हैं.

बता दें कि बैरसिया से नरसिंहगढ़ के बीच मेगरा नवीन स्थित पार्वती नदी का पुल लंबे समय से क्षतिग्रस्त होने के कारण प्रशासन ने वैकल्पिक मार्ग बनाकर लोगों की आवाजाही को सुचारू किया था. लेकिन क्षेत्र में लगातार हो रही तेज बारिश के चलते यह वैकल्पिक मार्ग पूरी तरह से पानी मे डूब चुका है. नजीराबाद सर्किल तहसीलदार राजेंद्र त्यागी ने सुरक्षा की दृष्टि से जेसीबी की सहायता से नाली खुदवाकर दोनों ओर से रास्ता बंद करा दिया.

कार्यशाला ▶ **अपराधियों पर अंकुश लगाने के प्रयास पर हुई चर्चा**

मामलों की एसओपी तैयार कर पैरवी करें : शुक्ला

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल 5 जुलाई. अभियोजन अधिकारियों एवं लोक अभियोजकों की एक दिवसीय संभागीय कार्यशाला का आयोजन रविवार को किया गया. कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव गृह संजय शुक्ला मुख्य अतिथि थे.

संचालक अभियोजन बीएल प्रजापति और पुलिस कमिश्नर संजय कुमार विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे. मुख्य अतिथि अपर मुख्य सचिव गृह संजय शुक्ला ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि अभियोजन अधिकारियों को मामले की एसओपी (मानक

संचालन प्रक्रिया) तैयार करके पैरवी करनी चाहिए. अभियोजन की सुविधाओं, नये पद के संबंध में प्रक्रिया शीघ्र पूरी होंगी. संचालक लोक अभियोजन प्रजापति ने कहा कि सभी के प्रयास से अभियोजन बेहतर कार्य कर रहा है. उन्होंने कहा कि हम निरंतर अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने का प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने प्रभारी उप संचालक राजेंद्र उपाध्याय एवं उनकी टीम को को कार्यशाला के सफल आयोजन के लिए बधाई दी. कार्यशाला में अतिरिक्त पुलिस उपयुक्त शैलेंद्र सिंह चौहान ने प्रशिक्षार्थियों को महिला एवं बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध एवं मोबाइल फॉरेन्सिक, इ-साक्ष्य के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया. बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष निवेदिता शर्मा ने पॉक्सो एक्ट एवं जेजे एक्ट से संबंधित प्रावधानों के बारे में बताया. सेवानिवृत्ति जिला न्यायाधीश डीके श्रीवास्तव ने पॉक्सो के मामलों में पैरवी के दौरान रखी जाने वाली सावधानियां एवं कुशल अभियोजन के संबंध में प्रशिक्षार्थियों को जानकारी दी. मेडिको लीगल के पूर्व संचालक डीएस बड़कुर ने महिला अपराधों में फॉरेंसिक एवं डीएनए के संबंध में जानकारी दी. प्रभारी उप संचालक भोपाल राजेंद्र उपाध्याय ने अतिथियों का स्वागत किया. कार्यक्रम में जिला भोपाल के लोक अभियोजक पीएन सिंह राजपूत, सीहोर रायसेन,राजगढ़ एवं विदिशा के अभियोजन अधिकारी एवं लोक अभियोजक सम्मिलित हुए.

आज बोट क्लब क्षेत्र में 26 दुकानों पर चलेगा बुलडोजर

भोपाल. 5 जुलाई. बड़े तालाब के कैचमेंट क्षेत्र में बोट क्लब में अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई सोमवार सुबह 11 बजे से की जाएगी. कलेक्टर प्रियंक मिश्रा की ओर से गठित टीम बोट क्लब पर पहुंचेगी. यहां पर प्रशासन ने सर्वे के बाद नगर निगम के फूड जोन में बनी 26 दुकानों को हटाने के लिए बेदखली का आदेश जारी किया है. सर्वे में जॉक रेस्टोरेंट,लहर रेस्टोरेंट व विंड्स एंड वेब का कुछ हिस्से भी आ रहे हैं, जिन पर प्रशासन का बुलडोजर चलेगा. टीटी नगर एसडीएम अर्चना शर्मा व तहसीलदार कुनाल राऊत ने बताया कि मार्च 2022 के बाद हुए बड़ी झील के कैचमेंट एरिया में हुए किसी भी तरह के अतिक्रमण को नहीं छोड़ा जाएगा.

संचालनालय पशुपालन एवं डेयरी, मध्यप्रदेश

कामधेनू भवन, वैशाली नगर, भोपाल

निविदा सूचना

क्रमांक 8170/ भण्डार/2026-27 — भोपाल, दिनांक 30/6/26

संचालनालय पशुपालन एवं डेयरी मध्यप्रदेश भोपाल के द्वारा टेबलेट के क्रय हेतु ऑनलाइन निविदा प्रणाली के माध्यम से मध्यप्रदेश शासन के पोर्टल https://mptenders.gov.in पर निविदा आमंत्रित की जाती है.

एन.आई.टी. क्रमांक	विवरण	निविदा जारी करने का दिनांक	निविदा की राशि	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र जमा करने का अंतिम दिनांक
MPDAH 46/2026	संचालनालय पशुपालन एवं डेयरी मध्यप्रदेश भोपाल के द्वारा टेबलेट के क्रय हेतु वर्ष 2026-27 के लिए निविदा निर्माता फर्म, डीलर एवं डिस्ट्रीब्यूटर से ऑनलाइन आमंत्रित की जाती है. निर्माता फर्म का टर्नओवर 20.00 करोड एवं निविदाकर्ता फर्म का टर्नओवर राशि रु 10.00 करोड वित्तीय वर्ष 2024-25 का होना अनिवार्य है.	7-7-2026	1000+ Processing Fees	रुपये 10.00 लाख की धरोहर राशि ऑनलाइन mptenders.gov.in पर जमा की जानी है.	28-7-2026 शाम 5.30 तक

1. निविदा प्रपत्र उपरोक्त वर्णित वेबसाइट पर ऑनलाइन भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है.
2. निविदा का अनुमानित मूल्य रु. 400.00 लाख है.
3. निविदा में कोई भी संशोधन होने की स्थिति में उक्त संशोधन www.mptenders.gov.in पर अपलोड किया जाएगा.

संचालक
संचालनालय पशुपालन एवं डेयरी मध्यप्रदेश, भोपाल

G15291/26